कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

"वन धन भवन" सेक्टर 24, अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाषः 0771 2513100
E mail: mfpfed.cg@nic.in; Website: www.cgmfpfed.org

संविदा नियुक्ति/2020/स्था-2/2021/423 नवा रायपुर, दिनांक 08/09/2021

✦आदेश✦

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर के कार्यालयीन क्रमांक/MFP01/01-C/2008/स्था-2/2021/37 दिनांक 28.01.2021 द्वारा गठित संविदा भर्ती चयन की बैठक दिनांक 06.09.2021 द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर **"जूनियर एक्सीक्यूटिव** (...टेंग)" के संविदा पद पर संघ में संचालित परियोजनाओं के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को मासिक राशि रूपये 25,780/- वेतन में कार्य पर उपस्थिति दिनांक से एक वर्ष के लिये छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ कर्मचारी, भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्तें नियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त संविदा नियुक्ति दी जाती है:-

पदस्थिति विवरण

नाम	पिता का नाम	अभ्यर्थी का संवर्ग	संविदा नियुक्ति का संवर्ग	पदस्थिति स्थल
नेहा राठौर	स्व. श्री शिव शंकर राठौर	अ.पि.व.	अनारक्षित	जिला यूनियन, अम्बिकापुर

संबंधी मुख्य शर्तें निम्नानुसार है:-

संविदा कर्मी की सेवायें छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ कर्मचारी, भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्तें नियम 1994 से शासित होगी।

संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त राशि रूपये 25,780/- वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये आनुपातिक आधार पर की जायेगी।

यात्रा भत्ता की पात्रता उक्त पद हेतु प्रभावशील नियमों के अनुसार होगी। संविदा सेवा में किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

संविदा सेवा में, संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

नियुक्त संविदा कर्मी को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन का कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी।

नियुक्त कर्मचारी को उपस्थिति के समय या उपस्थिति से 07 दिवस में जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड का "स्वास्थ्य (फिटनेस) प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

20/09/2021